

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/लेखा/2016/

दिनांक 24/02/2016

### सूचना

विषय:—वित्तीय वर्ष 2015-16 के आयकर कटौती के संबंध में।

संदर्भ:—वि.वि. के पत्र क्रमांक/ग्वा./लेखा/2015-16/51 दिनांक 31-12-2015 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये आपके वेतन सहित कुल परिलब्धियों पर आयकर TDS कटौती हेतु फार्म 12-C की प्रति संलग्न करके दिनांक 05/01/2016 तक प्रविष्टि सहित हस्ताक्षरित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था।

आपके द्वारा आज पर्यन्त तक जानकारी लेखा शाखा को आज दिनांक 23.02.2016 तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है। कृपया समस्त प्रविष्टियों एवं क्लेम किये गये आयकर छूट से संबंधित समस्त सत्यापित अभिलेख संलग्न करते हुए जानकारी निर्धारित फार्म 12-C में प्रविष्टि करते हुए दिनांक 26/02/2016 तक अनिवार्य रूप से लेखा शाखा में प्रेषित करना सुनिश्चित करने का कष्ट करे। अन्यथा इस स्थिति में विश्वविद्यालय लेखा शाखा में उपलब्ध अभिलेख अनुसार किये गये भुगतान अनुसार गणना करके देय आयकर राशि पर फरवरी के वेतन से 01 अंतिम किश्त में शेष TDS कटौती कर लिया जावेगा।

निर्धारित तिथि में जानकारी उपलब्ध न होने पर काटे गये TDS की जिम्मेदारी स्वयं शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी की होगी। 01 अंतिम किश्त में शेष TDS कटौती कर लिया जावेगा।

नोट:— माह मार्च 2016 अंतिम माह वर्ष 15-16 का TDS कटौती की रशि जानने हेतु विश्वविद्यालय के लेखा शाखा में श्रीमती अनिता शर्मा व CA के सहायक से समय 1:00 बजे से 5:00 बजे तक दिनांक 25.02.2016 तक सम्पर्क कर सकते है।

वित्त नियंत्रक